भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 478
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

478. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत सात वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर बिहार में किशनगंज और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए , कितने लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया , कितने आवास स्वीकृत और पूर्ण किए गए;

(ख) बिहार और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई; और

(ग) बिहार और महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए लक्षित तिथि क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। 2.95 करोड़ मकानों का लक्ष्य पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जा चुका है , जिसमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है और 1 फरवरी 2024 तक 2.55 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। पिछले सात वर्षों (2016-17 से 2022-23) में से प्रत्येक के दौरान निर्धारित लक्ष्यों , स्वीकृत और निर्मित मकानों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) बिहार और महाराष्ट्र सहित आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) बिहार और महाराष्ट्र सहित पीएमएवाई-जी के तहत सभी लक्षित मकानों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31 मार्च, 2024 है।

******

अनुबंध-I

"पीएमएवाई-जी के तहत निर्धारित लक्ष्य" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएवाई-जी के तहत निर्धारित लक्ष्यों , पंजीकृत लाभार्थियों, स्वीकृत और निर्मित मकानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(इकाई संख्या में)

		2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
क्र.सं.	**राज्य के नाम**	**आवंटित लक्ष्य**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति**	**निर्मित**	**आवंटित लक्ष्य**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति**	**निर्मित**	**आवंटित लक्ष्य**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति**	**निर्मित**	**आवंटित लक्ष्य**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति**	**निर्मित**
1	अरुणाचल प्रदेश	9,025	9,022	0	2,173	2,169	0	0	0	85	7,452	7,428	747
2	असम	2,08,449	2,08,447	4	36,049	36,049	26,059	0	0	1,59,017	2,28,041	2,28,040	84,009
3	बिहार	6,34,090	6,34,074	1	5,34,929	5,34,926	28,135	0	0	5,81,827	12,89,039	12,89,022	3,76,216
4	छत्तीसगढ़	2,32,903	2,32,903	136	2,06,372	2,06,372	3,65,867	3,48,960	3,48,960	3,41,378	1,51,098	1,51,098	34,587
5	गोवा	257	257	0	0	0	0	0	0	22	0	0	3
6	गुजरात	1,13,043	1,13,043	12	90,441	90,441	95,280	0	0	83,096	1,05,633	1,05,628	35,589
7	हरियाणा	11,659	11,658	1	9,295	9,295	6,675	0	0	5,961	0	0	6,670
8	हिमाचल प्रदेश	4,742	4,742	1	2,444	2,444	3,504	0	0	3,096	871	871	447
9	जम्मू और कश्मीर	14,435	14,434	0	19,062	19,062	1,966	0	0	13,850	54,039	54,037	5,016
10	झारखंड	2,30,658	2,30,654	25	1,58,900	1,58,900	1,88,296	1,38,796	1,38,796	2,72,678	3,21,554	3,21,554	1,56,974
11	केरल	16,455	16,455	48	5,611	5,611	9,444	0	0	6,519	0	0	779
12	मध्य प्रदेश	4,47,371	4,47,358	152	4,14,242	4,14,240	6,36,365	5,65,529	5,65,527	7,00,447	5,99,673	5,99,673	2,72,863
13	महाराष्ट्र	2,23,662	2,23,436	219	1,44,230	1,44,151	1,45,630	66,718	66,705	2,01,968	3,06,470	3,06,434	92,276
14	मणिपुर	9,747	9,747	0	0	0	66	0	0	7,655	8,848	8,848	1,151

15	मेघालय	17,029	17,029	0	3,713	3,713	260	0	0	11,329	17,153	17,152	4,995
16	मिजोरम	4,806	4,806	0	1,794	1,794	1,333	0	0	900	1,500	1,500	997
17	नागालैंड	4,239	4,239	0	0	0	0	0	0	17	5,900	5,900	3,687
18	ओडिशा	3,96,000	3,96,000	443	3,40,434	3,40,434	4,31,669	2,55,878	2,55,878	4,03,125	6,56,956	6,56,956	3,61,187
19	पंजाब	9,996	9,996	0	3,998	3,998	608	0	0	12,751	9,993	9,993	410
20	राजस्थान	2,49,370	2,49,311	108	2,22,524	2,22,503	3,17,728	2,12,653	2,12,642	3,26,593	4,44,380	4,44,291	1,66,764
21	सिक्किम	1,078	1,078	0	0	0	372	0	0	646	0	0	34
22	तमिलनाडु	1,75,260	1,75,211	0	1,29,275	1,29,234	78,680	20,839	20,825	1,04,388	1,70,730	1,70,545	49,986
23	त्रिपुरा	23,726	23,726	0	1,258	1,258	3,333	0	0	20,690	23,692	23,691	6,155
24	उत्तर प्रदेश	5,70,899	5,70,876	14	3,94,410	3,94,383	8,17,001	3,09,596	3,09,591	4,26,571	1,71,573	1,71,556	1,74,166
25	उत्तराखंड	8,530	8,530	4	4,035	4,035	6,236	0	0	5,925	0	0	192
26	पश्चिम बंगाल	4,31,599	4,31,582	30	3,74,970	3,74,970	5,89,790	5,85,467	5,85,466	7,39,776	10,25,914	10,25,911	2,86,332
27	अण्डमान और निकोबार	194	194	0	183	183	0	311	311	0	244	244	286
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	286	286	0	744	744	7	4,393	4,393	203	0	0	221
29	लक्षद्वीप	45	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
30	पुदुच्चेरी**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	58,740	58,740	681	8,780	8,780	27,347	0	0	18,674	0	0	5
32	कर्नाटक	79,020	79,018	236	44,965	44,965	34,317	0	0	43,760	38,207	38,207	7,085
33	तेलंगाना**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428	1,428	1,344
	कुल	**41,87,313**	**41,86,905**	**2,115**	**31,54,831**	**31,54,654**	**38,15,968**	**25,09,140**	**25,09,094**	**44,92,947**	**56,40,388**	**56,40,007**	**21,31,182**
	किशनगंज (बिहार)@	5,907	5,907	0	4,299	4,299	194	0	0	9,435	8,281	8,281	2,373
	ठाणे (महाराष्ट्र)@	3,332	3,331	31	742	742	3,332	459	459	1,022	1,792	1,792	254

* दिनांक 01.02.2024 तक आवासॉफ्ट के आंकड़ों के अनुसार

@संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य।

**तेलंगाना और पुदुचेरी पीएमएवाई-जी का कार्यन्वयन नहीं कर रहे हैं।

(इकाई संख्या में)

		2020-21			2021-22			2022-23		
क्र.सं.	राज्य के नाम	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति	निर्मित	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति	निर्मित	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृति	निर्मित
1	अरुणाचल प्रदेश	11,891	11,829	2,417	5,669	5,664	992	0	0	9,344
2	असम	2,75,978	2,75,969	1,30,879	10,83,617	10,82,968	1,17,694	0	0	10,09,142
3	बिहार	2,41,591	2,41,572	9,42,615	10,01,927	10,01,896	5,08,363	0	0	11,47,036
4	छत्तीसगढ़	1,57,811	1,57,811	59,684	0	0	23,289	78,998	78,998	33,575
5	गोवा	0	0	87	0	0	19	0	0	12
6	गुजरात	1,02,711	1,02,676	50,742	23,480	23,472	77,263	1,68,614	1,68,454	65,562
7	हरियाणा	701	701	1,215	7,749	7,750	263	0	0	5,404
8	हिमाचल प्रदेश	3,893	3,893	605	3,498	3,498	1,884	0	0	3,654
9	जम्मू और कश्मीर	48,302	48,301	21,569	62,589	62,562	42,515	0	0	79,271
10	झारखंड	3,46,997	3,46,997	2,35,011	3,95,266	3,95,267	2,95,036	0	0	3,63,311
11	केरल	0	0	686	13,101	13,100	2,440	0	0	8,825
12	मध्य प्रदेश	6,24,243	6,24,242	2,61,254	11,49,357	11,49,337	6,06,303	0	0	10,58,371
13	महाराष्ट्र	2,68,270	2,68,166	1,81,700	3,68,467	3,68,185	1,79,021	0	0	3,43,445
14	मणिपुर	15,437	15,437	2,379	11,058	11,058	3,626	0	0	13,955
15	मेघालय	24,217	24,217	5,016	16,555	16,555	7,009	0	0	6,913
16	मिजोरम	5,432	5,432	1,123	6,976	6,976	1,158	0	0	1,020
17	नागालैंड	7,894	7,894	535	4,899	4,899	0	0	0	3,210
18	ओडिशा	1,88,559	1,88,559	3,95,105	7,91,126	7,91,057	97,143	97,180	97,123	30,368
19	पंजाब	0	0	3,908	15,742	15,740	5,473	0	0	11,381
20	राजस्थान	1,95,386	1,95,243	3,15,480	3,93,683	3,93,610	1,41,342	0	0	3,95,040
21	सिक्किम	253	253	13	69	68	5	0	0	41

22	तमिलनाडु	0	0	51,868	2,54,974	2,54,792	57,322	0	0	1,75,291
23	त्रिपुरा	0	0	15,462	2,12,378	2,12,375	1,639	73	73	1,80,495
24	उत्तर प्रदेश	7,32,519	7,32,517	37,710	4,33,254	4,33,252	10,94,654	8,58,570	8,58,562	6,62,309
25	उत्तराखंड	13,199	13,198	19	3,008	3,008	3,844	17,900	17,895	12,493
26	पश्चिम बंगाल	8,90,534	8,90,531	6,78,583	1,59,317	1,59,314	9,59,229	11,01,731	11,01,723	1,47,379
27	अण्डमान और निकोबार	400	400	483	0	0	335	257	257	97
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	972	1,120	1,120	641	0	0	1,486
29	लक्षद्वीप	0	0	28	0	0	7	0	0	0
30	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1,78,910	1,78,910	0	0	0	2,167
32	कर्नाटक	0	2	2,405	79,716	79,674	11,239	0	0	2,641
33	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	451	451	62	0	0	22	0	0	1
	कुल	**41,56,669**	**41,56,291**	**33,99,615**	**66,77,505**	**66,76,107**	**42,39,770**	**23,23,323**	**23,23,085**	**57,73,239**
	किशनगंज (बिहार)@	**0**	**0**	**6,144**	**7,356**	**7,356**	**215**	**0**	**0**	**7,377**
	ठाणे (महाराष्ट्र)@	**363**	**363**	**1,193**	**2,849**	**2,849**	**526**	**0**	**0**	**2,361**

** दिनांक 01.02.2024 तक आवाससॉफ्ट के आंकड़ों के अनुसार*

@संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य।

***तेलंगाना और पुदुचेरी पीएमएवाई-जी का कार्यन्वयन नहीं कर रहे हैं।*

अनुबंध-II

"पीएमएवाई-जी के तहत निर्धारित लक्ष्य" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएवाई-जी के तहत इस योजना की शुरूआत से आबंटित/जारी और उपयोग किए गए बजट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.		वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2022-23	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केद्र द्वारा जारी निधि	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	240.66	150.34
2	असम	21,085.93	19,146.71
3	बिहार	29,332.49	44,791.63
4	छत्तीसगढ़	7,314.08	11,544.33
5	गोवा	2.84	2.78
6	गुजरात	3,757.49	5,224.80
7	हरियाणा	202.95	366.43
8	हिमाचल प्रदेश	179.54	199.43
9	जम्मू और कश्मीर	2,375.53	2,223.75
10	झारखंड	12,391.32	19,624.45
11	केरल	192.19	392.82
12	मध्य प्रदेश	28,570.10	44,274.51
13	महाराष्ट्र	9,024.56	13,742.65
14	मणिपुर	397.86	377.86
15	मेघालय	659.97	613.33
16	मिजोरम	148.16	137.86
17	नागालैंड	142.39	105.68
18	ओडिशा	15,663.26	22,315.34
19	पंजाब	230.81	415.94
20	राजस्थान	12,712.23	19,654.72
21	सिक्किम	14.09	15.86
22	तमिलनाडु	5,541.34	6,921.64
23	त्रिपुरा	3,301.19	3,064.39
24	उत्तर प्रदेश	24,444.29	38,413.57
25	उत्तराखंड	461.90	474.60
26	पश्चिम बंगाल	25,797.52	41,875.14

27	अण्डमान और निकोबार	19.17	11.94
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	72.06	101.97
29	लक्षद्वीप	0.70	0.60
30	पुदुच्चेरी**	0	0.00
31	आंध्र प्रदेश	755.11	616.66
32	कर्नाटक	1,584.42	641.47
33	तेलंगाना**	190.78	0.00
34	लद्दाख	3.08	2.94
कुल		**2,06,810.11**	**2,97,446.14**

नोट: उपयोग में पिछले वर्षों में जारी केंद्रीय अंश और राज्य अंश के समान अंश व्यय शामिल है।

* दिनांक 01.02.2024 तक आवाससॉफ्ट के आंकड़ों के अनुसार

**तेलंगाना और पुदुचेरी पीएमएवाई-जी का कार्यन्वयन नहीं कर रहे हैं।